भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1025

26 जुलाई, 2023 को उत्तर के लिए

स्क्रैप इस्पात का आयात

1025. श्री दिलेश्वर कामैत:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में स्क्रैप इस्पात के आयात का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अगले दशक के लिए इस्पात की मांग और उत्पादन स्तर का आकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्य योजना बनाई गई है;

(घ) इस्पात स्क्रैप के आयात की मांग को कम करने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश में और अधिक स्क्रैप केन्द्र खोलने के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं; और

(ड.) सरकार द्वारा देश में इस्पात स्क्रैप के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)**

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में आयात किए गए स्क्रैप इस्पात का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	**आयात (एमटी में)**
2020-21	5.571
2021-22	4.845
2022-23	9.915
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी); एमटी=मिलियन टन	

(ख)और(ग): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है तथा सरकार की भूमिका देश में इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करने वाले सुविधाप्रदाता की है।

तदनुसार, भारत सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 अधिसूचित की जिसके अंतर्गत वर्ष 2030-31 तक मांग तथा आपूर्ति, दोनों पक्षों के लिए भारतीय इस्पात उद्योग के दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत रूपरेखा दी गई है। इस नीति में वर्ष 2030-31 तक 255 एमटी कुल क्रूड इस्पात के उत्पादन तथा 230 एमटी कुल तैयार इस्पात की मांग का अनुमान लगाया गया है।

(घ)और(ङ): इस्पात मंत्रालय ने 7 नवंबर, 2019 को इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित किया। इस नीति में विभिन्न स्रोतों तथा विविध उत्पादों से सृजित होने वाले फेरस स्क्रैप के वैज्ञानिक पद्धति से प्रसंस्करण तथा पुनर्चक्रण के लिए भारत में धातु स्क्रैपिंग केन्द्रों की स्थापना को सुविधा प्रदान करने और बढ़ावा देने की रूपरेखा प्रदान की गई है। इस नीति में विखंडन केन्द्रों एवं स्क्रैप प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना, एग्रीगेटरों की भूमिका तथा सरकार, विनिर्माताओं एवं मालिकों के दायित्वों के लिए मानक दिशानिर्देशों की व्यवस्था की गई है। इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति के अनुसार, सरकार की भूमिका देश में स्क्रैप केन्द्रों की स्थापना के लिए उद्यमियों एवं निवेशकों हेतु अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने के लिए एक सुविधा प्रदाता की है। उद्यमियों द्वारा स्क्रैप केन्द्रों को स्थापित किए जाने का निर्णय वाणिज्यिक व्यवहार्यताओं पर आधारित होता है।

****